संख्या- 01 /2025/001-1941-24-1-2024-1797-2021

प्रेषक,

प्रभंजन यादव,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 03 जनवरी, 2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 को ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर-।। के पारेषण कार्यों हेतु प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-345/एफएम/एफ-।/ट्रांस्को/बजट/422/2023/24-2025, दिनांक 16 दिसम्बर, 2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 को ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर-।। के पारेषण कार्यों हेतु लेखाशीर्ष 6801-190-03-30 में प्राविधानित धनराशि रूपये 805,49,00,000/- (रूपये आठ सौ पॉच करोड़ उनचास लाख मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 751,67,51,000/- (रूपये सात सौ इक्यावन करोड़ सड़सठ लाख इक्यावन हजार मात्र) में से धनराशि रूपये 158,03,38,000/- (रूपये एक सौ अठ्ठावन करोड़ तीन लाख अड़तीस हजार मात्र) स्वीकृत कर आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या -42 जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखा शीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज और ऊर्जा विभाग तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

(3) उपर्युक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में अन्य मदों में नहीं किया जायेगा।

(4) इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) अगली किश्त का प्रस्ताव करते समय पूर्व में आहरित की गई धनराशि एवं वर्तमान में अवमुक्त की जा रही धनराशि के उपभोग सम्बन्धी उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) B2B योजनान्तर्गत रु0 158.0338 करोड़ की धनराशि भारतीय रिजर्व बैंक के मेमो में भारत सरकार के आदेश संख्या-53(2)/PF-S/2024-1147, दिनांक 16-12-2024 की है जबकि उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराये गये भारत सरकार के स्वीकृत आदेश संख्या-53(2)/PF-S/2024-1147, दिनांक 13-12-2024 की है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा अपने स्तर पर भारत सरकार से सम्पर्क कर सन्तुष्ट हो लेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक में प्राप्त धनराशि की तिथि प्रश्नगत स्वीकृत आदेश की ही है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,58,03,38,000 (रुपये एक अरब अट्ठावन करोड़ तीन लाख अड़तीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 009 **लेखा शीर्षक** 6801001900300 ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर-II के पारेषण कार्यों हेतु के.एफ.डब्लू. से प्राप्त होने वाले ऋण के सापेक्ष उ.प्र. पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन को ऋण **मानक मद** 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-10-95-X-2024-25-दिनांक:3-1-2025 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

प्रभंजन यादव
उप सचिव।

<u>संख्या- 01 /2025/001-1941(1)-24-1-2024-1797-2021, तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001
2- प्रधान महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)-प्रथम, 15 ए, दयानन्द मार्ग, सिविल लाइन, प्रयागराज-211001
3- कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा-।।), उ0प्र0, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

प्रभंजन यादव
उप सचिव।